

प्रति,

1. कलेक्टर समस्त,
मध्यप्रदेश।
2. पुलिस अधीक्षक समस्त
मध्यप्रदेश।
3. कुलसचिव समस्त,
विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
4. अतिरिक्त संचालक समस्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. प्राचार्य समस्त,
शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय: छठवें वेतनमान को लेकर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयीन शिक्षक संघ तथा विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को हड़ताल के संबंध में।

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक 9821/2009 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.09.2009 के अनुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन शिक्षकों एवं प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत गैर शिक्षकीय कर्मचारियों को यह आदेशित किया है कि वे हड़ताल नहीं करेंगे तथा आगामी कार्य दिवस, 25.09.2009 से नियमित कार्य प्रारंभ करेंगे तथा शासन को यह निर्देशित किया है कि दिनांक 25.09.09 से समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करें।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार समस्त कुलसचिव एवं प्राचार्य कृपया हड़ताल पर गये प्राध्यापकों से उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का अनुरोध करें। यदि उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जाता तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव 25.09.09 कोही दोपहर 2.00 बजे तक शासन को भिजवाने का कष्ट करें।

साथ ही अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क कर जिले की प्रतीक्षा सूची में से अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर कक्षाएं प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करें।

कृपया की गई कार्यवाही की जानकारी 25.09.09 को ही ई-मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

हस्ताक्षर
(आशीष उपाध्याय)
सचिव एवं आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

पृ.क्रमांक : प्रशा/स्था./2009/2521

दिनांक : 25/09/09

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. प्राचार्य समस्त संबंधित महाविद्यालय, ग्वालियर।
4. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर चम्बल संभाग, ग्वालियर।
5. अध्यक्ष विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन शिक्षक संघ, ग्वालियर।
6. अध्यक्ष तृतीय श्रेणी गैर शिक्षक संघ, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
8. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।



कुलसचिव